

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

ई-मेल : mpbse @ mp.nic.in वेब साइट : www.mpbse.nic.in

क्रमांक / 729/डी.एल.एड.कक्ष/2022

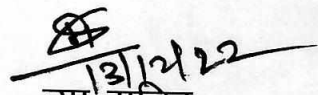
भोपाल, दिनांक 13/12/2022

प्रेस-विज्ञप्ति

डी.एल.एड. एवं डी.पी.एस.ई. (पी.पी.टी.सी.) पाठ्यक्रम संचालित करने वाले संस्थान द्वारा सत्र 2023-2024 हेतु नवीन संबद्धता एवं संबद्धता नवीनीकरण आवेदन मंडल द्वारा जारी आदेश क्र.-586-587/डी.एड.सेल/2014, भोपाल दिनांक 22.02.2014 (आदेश मण्डल वेबसाइट : www.mpbse.nic.in पर उपलब्ध) के संलग्न प्रारूप में उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति करते हुए आवेदन निर्धारित शुल्क सहित सचिव के नामें, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र. भोपाल परिसर में स्थित यूको बैंक, शाखा हबीबगंज, में चालान (किसी अन्य बैंक के चालान मान्य योग्य नहीं) अथवा RTGS/NEFT (खाता क्रमांक 02830100006001 IFSC No. UCBA0000283) के माध्यम से जमा कर, जमा की गई राशि मण्डल के उक्त खाते में जमा होना सुनिश्चित करते हुये, शुल्क सहित आवेदन की प्रति दिनांक 10 मार्च 2023 तक मण्डल कार्यालय में आवश्यक रूप से प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। शुल्क मण्डल खाते में स्थानानंतरित नहीं होने की स्थिति में सम्पूर्ण जवाबदारी संस्था की होगी तथा उक्त कार्यालयीन आदेश के बिन्दु क्रमांक-10 के तहत प्रकरण अमान्य कर जमा राशि मण्डल के पक्ष में राजसात कर ली जावेगी।

साथ ही संस्था द्वारा संबद्धता नवीनीकरण हेतु प्रस्तुत आवेदन के संलग्न 100 रुपये के स्टॉम्प पर नोटरी कराकर इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करें कि संस्था को एन.सी.टी.ई. से सत्र 2023-2024 हेतु मान्यता प्राप्त है।

सचिव के आदेशानुसार।


उप सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल
म.प्र., भोपाल

9



माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

ई-मेल : mpbse @ mp.nic.in वेब साइट : www.mpbse.nic.in

कार्यालय (0755) 251650, 2761567

फैक्स - (0755) 2551499, 2552061

क्रमांक / 586 / डी.एड.सेल / 2014

भोपाल, दिनांक 22 / 02 / 2014

// आदेश //

डी.एड. पाठ्यक्रम हेतु संबद्धता संबंधी निर्देश

डी.एड. एवं पी.पी.टी.सी. नियमित पाठ्यक्रम संचालित करने के लिये एन.सी.टी.ई. से मान्यता प्राप्त अशासकीय संस्थाओं की डी.एड. एवं पी.पी.टी.सी. परीक्षाओं का आयोजन माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.भोपाल के द्वारा किया जाता है। परीक्षा निकाय की हैसियत से माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश एन.सी.टी.ई. से मान्यता प्राप्त डी.एड. एवं पी.पी.टी.सी. संस्थाओं को संबद्धता जारी करता है। उक्त संबंध में रिट पिटिशन (सिविल) क्र.-276/12 (मौ. वैष्णव देवी महिला महाविद्यालय विरुद्ध उत्तर प्रदेश शासन) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.12.2012 में एन.सी.टी.ई., राज्य शासन एवं संबंधित परीक्षा निकायों को मान्यता एवं संबद्धता प्रदान किये जाने के संबंध में आवश्यक निर्देश एवं तिथिवार कार्यक्रम घोषित किया गया है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्तानुसार उल्लेखनीय आदेशों को दृष्टिगत रखते हुये माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा डी.एड. एवं पी.पी.टी.सी. पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं के नवीन संबद्धता एवं संबद्धता के नवीनीकरण संबंधी प्रकरणों हेतु निम्नानुसार स्थाई निर्देश पूर्व जारी निर्देशों को अधिक्रमित करते हुये जारी किये जाते हैं।

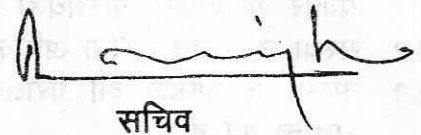
1. मा.शि.मण्डल, म.प्र. भोपाल द्वारा डी.एड. एवं पी.पी.टी.सी. पाठ्यक्रमों के संबंध में संबद्धता प्रदान किये जाने विषयक नये निर्देश आगामी सत्र 2014-15 से लागू माने जावेंगे। मा.शि. मण्डल द्वारा जारी किये गये इन निर्देशों में समय-समय पर आवश्यकतानुसार सक्षम स्वीकृति उपरान्त संशोधन किया जा सकेगा।
2. डी.एड. पाठ्यक्रम हेतु प्रथम बार नवीन संबद्धता प्रदान करने अथवा पूर्व से संबद्धता प्राप्त संस्थाओं की संबद्धता समाप्त करने के लिये अध्यक्ष, मा.शि.मण्डल सक्षम प्राधिकारी होंगे। पूर्व से संबद्धता प्राप्त संस्थाओं की संबद्धता के नवीनीकरण के लिये मण्डल के सचिव सक्षम होंगे।
3. मा.शि.मण्डल, म.प्र. भोपाल से संबद्धता प्राप्त करने हेतु संस्थाओं को मण्डल द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र पर संस्था के अध्यक्ष/सचिव के द्वारा प्रस्तुत करने पर ही मान्य किया जावेगा। आवेदन पत्र के साथ एन.सी.टी.ई. द्वारा एन.सी.टी.ई. एक्ट 1993 की धारा 7(11) के तहत जारी किये गये मान्यता आदेश की मूलप्रति (हार्ड कॉपी) की राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित छायाप्रति संलग्न की जाना आवश्यक होगा। उपरोक्त के अभाव में प्रस्तुत आवेदन पत्र प्रथम दृष्टया ही अमान्य किया जा सकेगा।
4. आवेदक संस्थाओं द्वारा आवेदन पत्र के साथ एन.सी.टी.ई. द्वारा एन.सी.टी.ई. एक्ट 1993 की धारा 7(11) के तहत जारी किये गये मान्यता आदेशों की संलग्न छायाप्रति का मिलान एन.सी.टी.ई. द्वारा मा.शि.मण्डल, म.प्र. भोपाल को अध्यक्ष/सचिव, मा.शि.मण्डल, म.प्र., भोपाल के नाम से प्रेषित पृष्ठांकित अधिकृत प्रति से किया जाने के उपरान्त तथा एन.सी.टी.ई. से तत्संबंधी पूष्टि कराने के उपरान्त ही संबंधित संस्थाओं के प्रकरणों पर आगामी कार्यवाही की जावेगी।

5. संस्था के द्वारा एन.सी.टी.ई. से मान्यता प्राप्त होने की प्रत्याशा में अथवा माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र., भोपाल से संबद्धता जारी होने की प्रत्याशा में छात्रों को प्रवेश किसी भी स्थिति में नहीं दिया जावेगा। यदि कोई संस्था ऐसा करती है तो उसके लिये वह स्वयं उत्तरदायी होगी और ऐसे छात्रों को मण्डल परीक्षाओं में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। तत्संबंधी जानकारी प्राप्त होने पर संस्था के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
6. एन.सी.टी.ई. द्वारा एन.सी.टी.ई. एक्ट 1993 की धारा 7(11) के तहत जारी किये जाने वाले फॉर्मल अन्वैश्विक मान्यता आदेशों के पूर्व धारा 7(9) के तहत जारी किये जाने वाले लेटर ऑफ़ इन्टेन्ट को मान्यता आदेश नहीं माना जावेगा तथा उक्त आधार पर संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत संबद्धता संबंधी आवेदन पत्रों को प्रथम दृष्टया अमान्य माना जावेगा।
7. प्रत्येक नवीन शैक्षणिक सत्र हेतु डी.एड. एवं पी.पी.टी.सी. पाठ्यक्रम संचालित करने के लिये उन्हीं संस्थाओं को मण्डल की नवीन संबद्धता जारी की जावेगी जिन्हें राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद् - पश्चिम क्षेत्रीय समिति (एन.सी.टी.ई.-डब्ल्यू.आर.सी.) के द्वारा संबंधित सत्र हेतु एन.सी.टी.ई. एक्ट 1993 की धारा 7(11) के तहत स्थाई मान्यता आदेश दिनांक 03 मार्च तक जारी किये जावेंगे। एन.सी.टी.ई. द्वारा प्रचलित सत्र के दौरान 03 मार्च की तिथि के उपरान्त जारी किये गये मान्यता संबंधी आदेशों को आगामी सत्र के लिये वैध माना जावेगा।
8. डी.एड. एवं डी.ई.सी.एड. पाठ्यक्रम की नवीन संबद्धता/संबद्धता नवीनीकरण प्राप्त करने हेतु संस्थाओं द्वारा माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र., भोपाल में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि प्रत्येक शैक्षणिक सत्र हेतु दिनांक 10 मार्च निर्धारित होगी। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा।
9. माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा प्रत्येक नवीन प्रचलित शैक्षणिक सत्र हेतु संबद्धता संबंधी आदेश जारी किये जाने हेतु अंतिम तिथि दिनांक 10 मई होगी। अंतिम तिथि दिनांक 10 मई के बाद जारी किये जाने वाले संबद्धता संबंधी आदेश आगामी शैक्षणिक सत्र से लागू माने जावेंगे।
10. मा.शि.मण्डल, म.प्र., भोपाल से नवीन संबद्धता प्राप्त करने हेतु संबद्धता आवेदन पत्र के साथ मण्डल द्वारा समय-समय पर निर्धारित नवीन संबद्धता शुल्क का चालान जमा करना आवश्यक होगा। संस्थाओं द्वारा उक्तानुसार जमा किये गये चालान शुल्क की राशि सत्र विशेष हेतु ही मान्य की जावेगी। संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र को अमान्य किये जाने की स्थिति में संस्थाओं द्वारा जमा किये गये चालान शुल्क को मण्डल के पक्ष में राजसात कर लिया जावेगा। उक्तानुसार जमा किये गये शुल्क की राशि को आवेदन अमान्य किये जाने की स्थिति में आगामी वर्षों में समायोजित नहीं किया जावेगा। निर्धारित चालान शुल्क का प्रमाण (चालान की प्रति) आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं पाये जाने पर संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र को प्रथम दृष्टया अमान्य किया जावेगा।
11. संस्थाओं को नवीन संबद्धता आवेदन पत्र के साथ एन.सी.टी.ई. के द्वारा निर्धारित मापदण्डों के आधार पर संस्थान में नियुक्त प्राचार्य, व्याख्याता एवं अन्य शैक्षणिक एवं कार्यालयीन कर्मचारियों की संबंधित जिले के शासकीय स्नातकोत्तर शिक्षा महाविद्यालय के प्राचार्य अथवा उनके द्वारा नामांकित अधिकारी के हस्ताक्षरयुक्त स्टाफ सूची आवश्यक रूप से संलग्न की जाना आवश्यक होगा। उक्त के अभाव में प्राप्त नवीन संबद्धता संबंधी आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा।
12. डी.एड. एवं पी.पी.टी.सी. पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाएँ एन.सी.टी.ई., मा.शि.मण्डल, अयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र एवं राज्य शासन के द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्धारित नियमों/निर्देशों/शर्तों का पालन करने के लिये आबद्ध होगी। संस्था द्वारा उपरोक्तानुसार जारी किन्हीं भी नियमों अथवा निर्देशों का उल्लंघन किये जाने पर मण्डल द्वारा संस्था की संबद्धता समाप्त की जा सकेगी।

13. प्रथम बार मण्डल से नवीन संबद्धता प्राप्त कर लेने के बाद संस्थाओं को प्रतिवर्ष निर्धारित शुल्कजमा करते हुये मण्डल से संबद्धता का नवीनीकरण कराना अनिवार्य होगा। यद्यपि संस्थाओं द्वारा आवेदन करने पर 03 वर्ष हेतु नवीनीकरण शुल्क प्राप्त करने के उपरान्त मण्डल द्वारा संस्थाओं की संबद्धता को अधिकतम 03 वर्षों हेतु एन.सी.टी.ई. से मान्यता निरन्तर रहने तक नवीनीकरण प्रदान किया जा सकेगा। मण्डल से संबद्धता प्राप्त संस्थाओं को एन.सी.टी.ई. से प्राप्त मान्यता की निरन्तरता जारी रहने पर संस्थाओं द्वारा संबद्धता नवीनीकरण हेतु दिनांक 10 मार्च तक निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा। नवीनीकरण हेतु निर्धारित तिथि तक शुल्क सहित आवेदन प्रस्तुत न करने की स्थिति में संस्था की संबद्धता स्वमेव समाप्त मानी जावेगी। साथ ही मण्डल द्वारा संस्था को दी गई संबद्धता निम्न परिस्थितियों में भी निर्धारित अवधि के पूर्व भी समाप्त की जा सकती है, यदि :-
- 13.1 संस्था एवं/पदाधिकारियों के विरुद्ध पाठ्यक्रम संचालन अथवा परीक्षा से संबंधित किसी प्रकार का फर्जी/घोखाधड़ी का आपराधिक प्रकरण कायम हुआ हो।
- 13.2 संस्था ने अपात्र अथवा अधिक छात्रों को नियम विरुद्ध प्रवेश दिया हो।
- 13.3 संस्था ने मण्डल की परीक्षाओं के समय पर आयोजित करने में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न की हो।
- 13.4 संस्था ने मण्डल से सम्बद्धता प्राप्त करने के प्रयोजन हेतु कोई तथ्य छिपाया हो अथवा फलपूर्वक सम्बद्धता प्राप्त की हो।
- 13.5 संस्था ने परीक्षा/सम्बद्धता के प्रयोजन से मण्डल द्वारा मांगी जाने वाली जानकारियाँ समय पर प्रस्तुत न की हो अथवा मिथ्या जानकारी प्रस्तुत की हो। परन्तु किसी भी संस्था की सम्बद्धता समाप्त करने का आदेश तब तक जारी नहीं किया जावेगा जब तक कि संस्था के अध्यक्ष/सचिव को इस संबंध में सुनवाई का उचित अवसर न दे दिया गया हो।
14. एन.सी.टी.ई.-डब्ल्यू.आर.सी. के द्वारा किसी भी समय संस्था की मान्यता समाप्त करने की दशा में मण्डल के द्वारा जारी की गई संबद्धता स्वतः समाप्त मानी जावेगी, इसके लिये पृथक से पत्र व्यवहार किया जाना आवश्यक नहीं होगा। यदि मण्डल द्वारा सत्र विशेष हेतु संबद्धता जारी करने के पश्चात् शैक्षणिक सत्र के दौरान एन.सी.टी.ई. के द्वारा संस्था की मान्यता आगामी सत्र से समाप्त कर दी जाती है तो ऐसी स्थिति में उस सत्र विशेष में प्रवेशित छात्रों की परीक्षा पाठ्यक्रम पूर्ण होने तक, मण्डल के द्वारा ली जा सकेगी। किसी भी स्थिति में एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता समाप्ति के उपरान्त संस्थाओं में प्रवेशित विद्यार्थियों को मण्डल की परीक्षा में शामिल नहीं कराया जावेगा।
15. प्रत्येक संस्था को शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित प्रवेश की अंतिम तिथि के 30 दिवस के भीतर डी.एड./पी.पी.टी.सी. प्रथम वर्ष में प्रवेशित छात्रों का मण्डल से नियमानुसार नामांकन एवं ग्राह्यता प्राप्त करना आवश्यक होगा। यदि कोई संस्था प्रवेशित छात्रों का नामांकन एवं ग्राह्यता नहीं करवाती है तो उन छात्रों को मण्डल द्वारा आयोजित डी.एड./पी.पी.टी.सी. परीक्षा में शामिल होने की पात्रता नहीं होगी।
16. संबद्धता प्राप्त संस्थान शैक्षणिक संस्थान को चलाने हेतु एन.सी.टी.ई./मा.शि. मण्डल/म.प्र. शासन/राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशानुसार आवश्यक अभिलेख पंजियाँ एवं अन्य रिकार्ड संचालित करेगा। मुख्य रूप से शिक्षकों का मासिक उपस्थिति पंजी, विद्यार्थियों की मासिक उपस्थिति पंजी, वेतन भुगतान की पंजी, प्रायोगिक कार्य की जानकारी विषयक पंजी, शिक्षण अभ्यास से संबंधित पंजी, स्कॉलर पंजी आदि का संधारण अनिवार्य रूप से करेगा।

17. शैक्षणिक सत्र के दौरान मण्डल से संबंधता प्राप्त किसी भी संस्था का मा.शि.मण्डल म.प्र. भोपाल अथवा उसके द्वारा अधिकृत अधिकारियों से निरीक्षण करवाया जा सकेगा। संस्था निरीक्षणकर्ता द्वारा चाही गई समस्त जानकारी अथवा दस्तावेज निरीक्षणकर्ता को आवश्यक रूप से उपलब्ध करावेगी। निरीक्षण के दौरान पठन-पाठन प्रक्रियाओं में किसी भी तरह की अनियमितता पाये जाने पर, निरीक्षणकर्ता की रिपोर्ट के आधार पर मण्डल द्वारा प्रदान की गई संबंधता तत्काल निरस्त की जा सकती है।
18. एन.सी.टी.ई. द्वारा संस्था के मान्य पते के आधार पर ही मण्डल द्वारा संबंधता जारी की जायेगी। संस्था के पते में एन.सी.टी.ई. द्वारा विधिवत् परिवर्तन करने के आधार पर ही मण्डल द्वारा परिवर्तन किया जायेगा।
(कार्यपालिका समिति की बैठक दिनांक 12.02.2014 द्वारा अनुमोदित)

संलग्न: संबंधता नवीन/नवीनीकरण संबंधी आवेदन पत्र का प्रारूप।



सचिव

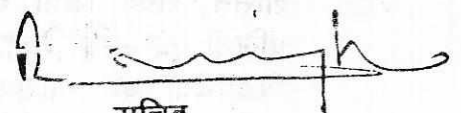
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.,
भोपाल

पृष्ठांकन क्रमांक /587/डी.एड.सेल/2014

भोपाल, दिनांक 22/02/2014

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन की ओर सूचनार्थ।
2. आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र, वी बिंग, पुरतक भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, गौतम नगर, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. क्षेत्रीय निदेशक, एन.सी.टी.ई., पश्चिम क्षेत्रीय समिति, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. निज सचिव, अध्यक्ष मा.शि.मण्डल, म.प्र. भोपाल।
6. निज सचिव, सचिव मा.शि.मण्डल, म.प्र. भोपाल।
7. अति. सचिव/परीक्षा नियंत्रक/संयुक्त संचालक वित्त के निजी सहायक मा.शि.मण्डल, म.प्र. भोपाल।
8. समस्त प्रथम श्रेणी अधिकारी/सहायक सचिव सभा/समस्त सहायक सचिव/कक्षाधिकारी, मा.शि.मण्डल, म.प्र. भोपाल।
9. समस्त ऑचलिक अधिकारी/संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, मा.शि.मण्डल, म.प्र. भोपाल।
10. समस्त शासकीय एवं अशासकीय संबंधता प्राप्त संस्थाएँ, म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
11. जन सम्पर्क अधिकारी, मा.शि.मण्डल, म.प्र. भोपाल की ओर प्रचार-प्रसार हेतु।



सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.,
भोपाल

मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल

डी.एड एवं पी.पी.टी.सी. नवीन संबद्धता/संबद्धता नवीनीकरण हेतु आवेदन प्रपत्र

नवीन संबद्धता/नवीनीकरण सत्र..... आवेदन का दिनांक

यह आवेदन पत्र मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल द्वारा समय-समय पर लागू संबद्धता संबंधी स्थाई नियमों एवं निर्देशों के आधार पर प्रस्तुत किया जावे।

1. समिति का नाम, पंजीयन क्र. एवं पूर्ण पता

(समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों की सूची एवं पंजीयन प्रमाण-पत्र की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)।

2. समिति के अध्यक्ष का नाम एवं पता

दूरभाष क्रमांक
मोबाइल नं. एस.टी.डी. कोड

3. समिति द्वारा संचालित डी.एड./पी.पी.टी.सी. संस्थान का एन.सी.टी.ई. के मान्यता आदेश अनुसार पूर्ण पता (दूरभाष क्र. एवं ई-मेल आई.डी. सहित)

4. संस्था प्राचार्य का नाम/पता एवं दूरभाष क्रमांक (मोबाइल नं. सहित)

5. संस्था को N.C.T.E. रेग्यूलेशन की धारा 7(11) के तहत एवं N.C.T.E. एक्ट सेक्शन 14(3) (a) के द्वारा प्रदत्त मान्यता आदेश का विवरण

आदेश पत्र क्रमांक दिनांक

6. आवेदित पाठ्यक्रम के अतिरिक्त संस्थान में संचालित अन्य पाठ्यक्रम संबंधी जानकारी।

7. एन.सी.टी.ई. द्वारा जारी मापदण्डों के आधार पर संस्थान में, नियुक्त प्राचार्य, व्याख्याता एवं अन्य शैक्षणिक एवं कार्यालयीन कर्मचारियों की संबंधित जिले के शासकीय स्नात्कोत्तर शिक्षा महाविद्यालय के प्राचार्य अथवा उनके द्वारा नामांकित अधिकारी के हस्ताक्षर युक्त स्टाफ सूची आवश्यक रूप से संलग्न की जावे।

8. संस्था संचालन हेतु उपलब्ध भूमि/भवन की जानकारी

(i) क्या संस्था स्वयं के भवन में संचालित है ? अथवा भवन किराये पर लिया गया है।

(ii) संस्था के भूखण्ड का कुल क्षेत्रफल

(iii) निर्मित भवन का क्षेत्रफल

(iv) शैक्षणिक कक्षाओं की संख्या एवं प्रत्येक का निर्मित क्षेत्रफल एवं अन्त में कुल क्षेत्रफल (वर्गफुट में)

कुल निर्मित क्षेत्रफल

(v) खुली भूमि का क्षेत्रफल (वर्गफुट में)

